संख्या-159/2017/2755/26-3-2017-4(215)/90टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 12 अक्टूबर 2017

विषयः-शैक्षिक सत्र 2017-18 में कक्षा (9 व 10) में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3600/स.क.शिक्षा-अ/2017-18, दिनांक-05.10.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा बेस बनाने एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिये जारी शासनादेश संख्या-80/2017/1359/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-19.05.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत समय-सारिणी में संशोधन करते हुये निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र0 सं0	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि कक्षा 9-10 हेतु	कार्यवाही की वर्तमान समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
मास्टर डाटा के सम्बन्ध में				
1	स्तर-1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला समाज	01 जून 2017 से 15 जुलाई 2017 तक	यथावत्

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।		
2	स्तर-2	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त शिक्षण संस्थानों, पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रम के प्रकार आदि की प्रमाणिकता को शत-प्रतिशत आनलाईन सत्यापित करना	16 जुलाई 2017 से 16 अगस्त 2017 तक।	यथावत्
आनलाइन आवेदन के सम्बन्ध में				
3	स्तर-3	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 28 सितम्बर 2017 तक	01 जुलाई से 15 अक्टूबर 2017 तक
4	स्तर-4	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	स्तर-5	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 अक्टूबर 2017 तक।	आवेदन पत्र भरने के 06 दिन के अन्दर, विलम्बतम 22 अक्टूबर 2017 तक।
6	स्तर-6	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	02 जुलाई से 14 अक्टूबर	02 जुलाई से 01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			2017 तक।	नवम्बर 2017 तक।
7	स्तर-7	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण **(Renewal)** न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	15 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2017 तक	15 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2017 तक
8	स्तर-8	सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना	02 जुलाई से 16 अक्टूबर 2017 तक	01 अगस्त से 02 नवम्बर 2017 तक
9	स्तर-9	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना एवं **PFMS** साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2017 तक	01 नवम्बर से 15 नवम्बर 2017 तक
10	स्तर-10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	30 नवम्बर, 2017 तक	10 दिसम्बर 2017 तक
11	स्तर-11	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 नवम्बर से 10 नवम्बर 2017 तक	16 से 30 नवम्बर 2017 तक
12	स्तर-12	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/छात्राओं	आवेदन पत्र भरने के 03	आवेदन पत्र भरने के 03

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2017 तक।	दिन के अन्दर, विलम्बतम 04 दिसम्बर 2017 तक।
13	स्तर-13	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना	01 नवम्बर से 16 नवम्बर 2017 तक	16 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2017 तक
14	स्तर-14	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	17 नवम्बर से 30 नवम्बर 2017 तक	05 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2017 तक
15	स्तर-15	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	15 दिसम्बर 2017 तक	10 जनवरी 2018 तक।
16	स्तर-16	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	25 दिसम्बर 2017 तक	17 जनवरी 2018 तक
17	स्तर-17	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत **PFMS** से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	10 जनवरी 2018 तक	25 जनवरी 2018 तक

2- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-159/2017/2755(1)/26-3-2017 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, मा0शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।